

>

Title : Need for redressal of grievances of railway guards working in North Eastern Railways.

श्री जगदविका पाल (डुमरियानंज): भारतीय रेल में ट्रेनों के परिचालन में गार्डों की बुकिंग करने की जिम्मेदारी परिचालन विभाग की थी। परिचालन विभाग प्रत्येक मुख्यालय पर एक गार्ड के द्वारा बुकिंग कार्य के साथ-साथ आपात रिस्ति में ट्रेनों के संचालन में गार्ड के रूप में डयूटी कर लिया करते थे तथा यह रक्षापना का भी कार्य सम्पादित करता था, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे ने गार्डों के बुकिंग का कार्य परिचालन विभाग से लेकर मैकेनिकल विभाग के अंतर्गत ड्राईवर अथवा अशिस्टेंट ड्राइवर को सौंप दिया है जो पूर्व के गाड़ियों के संचालन में गार्डों के अधीन कार्य करते आ रहे हैं। गार्ड परिचालन विभाग का कर्मचारी है। इसका उल्लेख जनरल रूल में भी उल्लेखित है जबकि ड्राइवर एवं सहायक ड्राइवर यांत्रिक विभाग का है। इसको लेकर के सम्पूर्ण पूर्वोत्तर रेलवे के गार्डों में शयंकर असंतोष है। क्योंकि रक्षापित नियमों के अनुसार हर विभाग का सुपरवाइजर उसी विभाग से होना चाहिए। प्रशासनिक आधार पर पूर्वोत्तर रेलवे में उपरोक्त आशय का आदेश कर दिया गया है जबकि अन्य भारत के रेलवे में गार्डस की डयूटी परिचालन विभाग से लगाने की व्यवस्था है। अरतु इस तोक महत्व के सुनिश्चित प्रूँज को ग्रह्य करें।